भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3736

बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-एसजीएमबीवाई के अंतर्गत परियोजनाएं</u>

3736. श्री गणेश सिंहः
डॉ. राजकुमार सांगवानः
डॉ. हेमन्त विष्णु सवराः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री कंवर सिहं तंवरः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री नव चरण माझीः
श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री अमरसिंह टिस्सोः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) देश में पीएम-एसजीएमबीवाई के अंतर्गत नवीन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार की अंतिम रूप से तैयार/कार्य योजना का महाराष्ट्र और उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित राज्यवार प्रस्तावित ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट-अप, संस्थाओं और उद्यमियों के चयन के क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और देश विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए उक्त योजना हेतु कितना वित्तीय आवंटन/प्रावधान किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सौर छत परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का है;

(च) केन्द्र और राज्य सरकार के बीच उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए किस प्रकार से सहयोग सुनिश्चित किए जाने की संभावना है; और

(छ) क्या सरकार ने उक्त योजना से प्राप्त लाभों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए कोई तंत्र तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): सरकार ने फरवरी 2024 में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना करने के उद्देश्य से पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीः एमबीवाई) को अनुमोदन दिया है। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 75,021 करोड़ रुपए है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- बेंचमार्क लागत के 60% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता से रूफटॉप सौर की स्थापना करके 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त/कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करना।

- वर्ष 2026-27 तक रूफटॉप सौर के माध्यम से 30 गीगावाट सौर क्षमता की स्थापना का लक्ष्य हासिल करना।
- देश में विनियामक सहयोग, विनिर्माण सुविधाएं, आपूर्ति श्रृंखला, वेंडर नेटवर्क, प्रचालन और रखरखाव सुविधाएं आदि सहित रूफटॉप सौर परियोजनाओं के लिए आवश्यक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
- ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
- रूफटॉप सौर को बढ़ावा देने के लिए डिस्कॉम को प्रोत्साहित करना।
- देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित करना।
- आवासीय आरटीएस की तैनाती के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) को प्रोत्साहित करना और स्थानीय स्तर पर सक्रिय प्रयास करना।
- नवीन परियोजनाओं के लिए सहयोग।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से कुशल मैनपावर का सृजन करना।
- योजना में भाग लेने के लिए बिजली उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाना।
- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवासीय उपभोक्ता के पंजीकरण से लेकर सीधे बैंक खाते में सब्सिडी वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- रूफटॉप सौर की स्थापना द्वारा सभी सरकारी भवनों को परिपूर्ण करना।

(ग) और (घ): पीएमएसजी: एमबीवाई में 500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से नवीन परियोजनाओं के लिए एक घटक है। इस घटक का उद्देश्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में उद्योग की प्रगति और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उन्नत सौर प्रौद्योगिकियों, अनुप्रयोगों या एकीकरण तकनीकों का प्रदर्शन और निरूपण करना है।

इस घटक का एक उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों, रूफटॉप सौर उत्पाद और संबंधित नवोन्मेष का सृजन करने के लिए सहयोगात्मक पायलट परियोजनाओं को संचालित करने के लिए स्टार्टअप्स और संस्थानों, परियोजना की व्यवहार्यता के प्रमाण तथा नए व्यापार मॉडलों का विस्तार करने में सहायता करना है।

नवीन परियोजनाओं के चयन की विस्तृत प्रक्रिया दिनांक 8.10.2024 को जारी दिशानिर्देशों में दी गई है।

(ङ) इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के आवासीय घरों में रूफटॉप सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जा रही है।

(च) पीएमएसजी: एमबीवाई में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रावधान है।

(छ) पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत एक व्यापक निगरानी तंत्र प्रदान किया गया है। मिशन निदेशालय, राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा योजना की निगरानी के अलावा, इस योजना में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित प्रणालियों में से कम से कम 1 प्रतिशत रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापनाओं का मूल्यांकन तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) द्वारा किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा, लाभार्थी योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसके समयबद्ध समाधान के लिए निगरानी भी की जा रही है।

*****